न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 कृति व्यास , उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

प्रकरण संख्या—51 / 2025 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

1. श्री दुर्गाशंकर पिता पन्नालाल, जाति ब्राह्मण, उम्र बालिग, निवासी ग्राम बड़ौदिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. मु0 भुवानीबाई पत्नी पन्नालाल, जाति ब्राह्मण, उम्र बालिग, निवासी ग्राम बड़ौदिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. श्री रामलाल पिता पन्नालाल, जाति ब्राह्मण, उम्र बालिग, निवासी ग्राम बड़ौदिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

......प्रार्थीगण

विरूद्व

भूमिधारी तहसीलदार तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

. ...विपक्षीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित :— **श्री अर्जुन सिंह**

अप्रार्थीगण की ओर से :— **पेरोकार सरकार।**

दिनांकः— 06.10.2025

—:आदेशः—

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया हैं कि ग्राम मौजा मेनपुर प0ह0 रेनखेड़ा तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 18 खसरा संख्या 10,12,15,16,17,18,19,29,3,4 कुल किता 10 कुल रकबा 3.0500 हैक्टेयर कुल लगानी 36.2300 पै0 भूमि प्रार्थीगण के नाम सह खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थीगण के सहखातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना—पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 10,12,15,16,17,18,19,29,3,4 के पड़ौसी खातेदार व प्रार्थीगण के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थीगण की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीगण को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया— प्रार्थीगण उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अप्रार्थीगण पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि कि ग्राम मौजा मेनपुर प0ह0 रेनखेड़ा तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 18 खसरा संख्या 10,12,15,16,17,18,19,29,3,4 कुल किता 10 कुल रकबा 3.0500 हैक्टेयर कुल लगानी 36.2300 पै0 भूमि प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः [illegible] मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000 / —रु [illegible] एक हजार रूपये प्रार्थीगण से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दाखिल [illegible] अनुसार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को खुले न्यायालय [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kratika Vyas
Date: 2025.12.12 12:43:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official